



# केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

क्षेत्रीय कार्यालय / **BHOPAL REGION**

**E.Mail: acbhopal@yahoo.com**

Phone: 2550728(DC)  
2551678 (AC/FO)  
2551699 (AC/AO)  
Fax: 0755-2553126  
Opp. Maida Mills  
Bhopal-462011

F.14059/42-1/2016-KVS(BPL) **16685-29**

दिनांक : 07/10/2016

प्राचार्य

**ई-मेल**

समस्त केन्द्रीय विद्यालय,  
भोपाल संभाग

विषय - विद्यालयों में दिनांक ३१/१०/२०१६ से ०५/११/२०१६ तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय) के उपर्युक्त विषयक पत्र क्रमांक फा ११०५९/iii-1/२०१६-केविसं(सतर्कता)/३९३१-४०१५ दिनांक ०६/१०/२०१६(प्रतिलिपि ईमेल से भेजी गई) के द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त निदेशानुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय), क्षेत्रीय कार्यालयों एवं केन्द्रीय विद्यालयों में दिनांक ३१/१०/२०१६(सोमवार) से ०५/११/२०१६(शनिवार) तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाये जाने के निदेश हैं। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम संगठन के पत्र के साथ संलग्न, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पत्र में दिए गए निदेशों के अनुसार हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के प्रारंभ में सभी कर्मचारियों के द्वारा दिनांक ३१/१०/२०१६ को दिन में ११.०० बजे सभा आयोजित करके प्रतिज्ञा ली जायेगी। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह "PUBLIC PARTICIPATION IN PROMOTING INTEGRITY AND ERADICATING CORRUPTION" के रूप में मनाये एवं इससे सम्बन्धित लोक प्रचार करना मुख्य आधार बिन्दु होंगे। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पत्र के पैरा 4 में दर्शाए गए कार्यक्रमों के अनुसार जागरूकता सप्ताह का आयोजन करें।

इस कार्यक्रम के आयोजन के उपरांत विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक ०८/११/२०१६ तक प्रेषित करें ताकि संकलित रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित की जा सके।

संलग्न - यथोपरोक्त

भवदीय  
  
(सुनील श्रीवास्तव)  
सहायक आयुक्त  
प्रभारी उपायुक्त

प्रतिलिपि :-

1. सहायक आयुक्त(सतर्कता), केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय), नई दिल्ली को अपर आयुक्त(प्रशा०) के पत्र क्रमांक फा ११०५९/iii-1/२०१६-केविसं(सतर्कता)/३९३१-४०१५ दिनांक ०६/१०/२०१६ के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
3. नोटिस बोर्ड।

सहायक आयुक्त  
प्रभारी उपायुक्त